

24

क्रमांक:- एफ.16 (४) भू.रु./ग्रामीण/राजस्व/12


दिनांक :


### संपरिवर्तन आदेश

प्रिन्स इन्टरनेशनल एकेडमी संरथा पालवास रोड, सीकर के आवेदक पर आवेदक आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 एवं राजस्व विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 6(6) राज-6/92 पार्ट/8 दिनांक 26.4.2011 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन / नियमितिकरण किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम : पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	प्रिन्स इन्टरनेशनल एकेडमी संरथा पालवास रोड, सीकर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदरस्य है	-
3.	(क) संपरिवर्तित भूमि का व्यौरा (ख) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम पालवास ग्राम पंचायत कवरपुरा तहसील सीकर
	(ग) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खसरा नम्बर 614/66 रकवा 0.29 हेक्टेयर
	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	खसरा नम्बर 614/66 रकवा 0.29 हेक्टेयर अर्थात् 2900 वर्ग मीटर
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	-
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	5.00/- रु० प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चालान नं. 243 दिनांक 27.8.2012 राशि रुपये 48500/- (प्रीमियम राशि- रु० 14500 + शास्ति राशि रु० 34000)
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	चालान नं. 243 दिनांक 27.8.2012 शास्ति राशि रुपये 34000/-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज़ यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	शून्य
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	हाँ (1700 वर्ग मीटर)
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	इण्डिगन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुए।

  
**PRINCIPAL**  
**Prince College**  
**PALWAS, SIKAR**

  
**Secretary**  
**Prince International Academy Sanstha**  
**Palwas Road, SIKAR**

  
**प्रभाणि फोटोप्रति**

उप पंजीयक, सीकर

## प्रधान संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -

1. इंडियन रोड फॉर्म्स द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राहक के मध्य से भूमि ऐसकर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी। तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप पहुंच गार्फ़ सुनिश्चित किया जाएगा।
2. निकटस्थ नगर पालिका/राजनीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लिमिट कराया जा सकेगा। व पूर्व निर्माण निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जावे।
3. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6(6), राज-6/92 पाट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
4. भूराष्ट्र में 40 प्रतिशत भाग अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु खुला रखना होगा।
5. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समहृत हो जायेगा।
6. उक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जिन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. नियम 4 में यथा घण्टित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायगा।
8. प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महोदय, राज० द्वारा घोषित हरित राजरथान अभियान के तहत सरणान कैम्पस में पेड़ लगाने होंगे।
9. निर्मित भवन में बरसाती पानी संग्रहण ढांचा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी  
(जिला कलकटर, सीकर)

क्रमांक:-एक.16 (२५)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/12/ 6852-60

दिनांक:- 20-३-१२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज० जयपुर

राजनीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखाकार, कलेक्टर, सीकर

उपराषण्ड अधिकारी, सीकर

सार्वीलदार, सीकर

सरपंज, गाम पंचायत, कंवरपुरा पंचायत समिति, धोद जिला रीकर

पिन्ना इन्टरनेशनल एकेडमी संरथा पालवास रोड, सीकर

रहित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी । १९/११  
(जिला कलकटर, सीकर)

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर

PRINCIPAL  
Prince College  
PALWAS, SIKAR

Secretary

Prince International Academy Sanstha

Palwas Road, SIKAR

Palwas Road, SIKAR